

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-09/2018 परि०...11.51

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक 11/11/18

विषय:- M/S-BAJAJ AUTO LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-BAJAJ AUTO LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	KTM 200 Duke	1. KTM 200 Duke (ABS)	AAMN 0042 V01/30.10.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,59,232/-
2	Avenger 220 Cruise	1. Avenger 220 Cruise (ABS) 2. Avenger 220 street (ABS)	AALN 0291 V01/12.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,05,818/-
3	Pulsar 150 DTS-i	1. Pulsar 150 DTS-i (ABS)	AALN 0410 V01/19.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Pulsar 220 DTS-iF	1. Pulsar 220 DTS-iF (ABS)	AALN 0305 V01/16.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,08,006/-
5	Pulsar 180 DTS-i	1. Pulsar 180 DTS-i (ABS)	AALN 0299 V01/16.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Avenger 180 Street	1. Avenger 180 Street (ABS)	AAMN 0468 V01/12.11.2018	2 Wheeler-L2 (BSIV)	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	KTM 125 Duke	AANN 0387/27.10.2018	2 Wheeler-L2	Rs. 1,17,395/-
8	KTM 250 Duke	1. KTM 250 Duke (ABS)	AAMN 0078 V01/27.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
9	RC 200	1. RC 200 (ABS)	AAMN 0010 V01/30.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
10	Discover 110	1. Discover 110 (CBS)	AAMN 0462 V01/05.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
11	Platina 110	AANN 0392/29.10.2018 ARAI/CMVR/19898 (310)(*)/01.11.2018	2 Wheeler-L2	Rs. 49,517/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन



विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-09/2018 परि०.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक

विषय:- M/S-BAJAJ AUTO LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-BAJAJ AUTO LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	KTM 200 Duke	1. KTM 200 Duke (ABS)	AAMN 0042 V01/30.10.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,59,232/-
2	Avenger 220 Cruise	1. Avenger 220 Cruise (ABS) 2. Avenger 220 street (ABS)	AALN 0291 V01/12.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,05,818/-
3	Pulsar 150 DTS-i	1. Pulsar 150 DTS-i (ABS)	AALN 0410 V01/19.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Pulsar 220 DTS-iF	1. Pulsar 220 DTS-iF (ABS)	AALN 0305 V01/16.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	Rs. 1,08,006/-
5	Pulsar 180 DTS-i	1. Pulsar 180 DTS-i (ABS)	AALN 0299 V01/16.11.2018	2 Wheeler (BSIV)-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Avenger 180 Street	1. Avenger 180 Street (ABS)	AAMN 0468 V01/12.11.2018	2 Wheeler-L2 (BSIV)	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	KTM 125 Duke	AANN 0387/27.10.2018	2 Wheeler-L2	Rs. 1,17,395/-
8	KTM 250 Duke	1. KTM 250 Duke (ABS)	AAMN 0078 V01/27.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
9	RC 200	1. RC 200 (ABS)	AAMN 0010 V01/30.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
10	Discover 110	1. Discover 110 (CBS)	AAMN 0462 V01/05.10.2018	2 Wheeler-L2	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
11	Platina 110	AANN 0392/29.10.2018 ARAI/CMVR/19898 (310)(*)/01.11.2018	2 Wheeler-L2	Rs. 49,517/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:-Authorised Signatory : M/S-BAJAJ AUTO LTD., MIDC Plot No. A1, Mahalunge Village Chakan, Pune-410501. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 451

पटना, दिनांक : 11/11/19

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना